

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16633/2023

डॉ. मोहम्मद यूनुस पुत्र स्वर्गीय शैरी अब्दुल वासे, उम्र लगभग 57 वर्ष साल, जाति मुसलमान, निवासी गजाधर मोलाबक्सजी की पोल, मेड़ती सिलावतों का बास, सोजती गेट के अंदर, जोधपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर, राजस्थान के माध्यम से ।
2. उप संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर, राजस्थान।
3. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नागौर रोड करवड़, जोधपुर, राजस्थान।
4. रजिस्ट्रार, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नागौर रोड करवड़, जोधपुर, नागौर रोड करवड़, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

के साथ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13771/2023

मोहम्मद साजिद

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13775/2023

डॉ. अली तकी एवं अन्य

----अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15713/2023

डॉ. अहत्शाम अली एवं अन्य

----अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री महेंद्र कुमार त्रिवेदी
श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित
डॉ. क्षेमेन्द्र माथुर

प्रतिवादी(गण) के लिए : डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, एएजी
श्री महावीर बिश्नोई, एएजी।
श्री पीयूष भंडारी।
श्री विनित सनाढ्य के लिए श्री प्रियांशु गोपा।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण माँगा

निर्णय

21/05/2024

1. चूंकि तथ्य और मुद्दे समान हैं, इसलिए उपर्युक्त पांच रिट याचिकाओं पर इस सामान्य आदेश के तहत निर्णय लिया जा रहा है। सुविधा के लिए, तथ्यों और अनुलग्नकों के विवरण एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16633/2023 से संदर्भित किए जा रहे हैं।
2. इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की शिकायत यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 04/2023 के अनुसरण में तैयार की गई 11.09.2023 की अनंतिम सूची (अनुलग्नक 6) और 22.09.2023 की अंतिम सूची (अनुलग्नक 8) से उत्पन्न हुई है। उनकी उम्मीदवारी को मेरिट सूची से बाहर रखा गया था। वे संचयी आधार पर आयु सीमा में छूट न देने की विज्ञापन की शर्त को भी रद्द करने की मांग करते हैं।

3. संक्षेप में, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16633/2023 में दलील दी गई मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत यूनानी चिकित्सक है। वह अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल) से संबंधित है। उन्हें एनआरएचएम के साथ नियुक्त किया गया था और एनआरएचएम के तहत यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे।

3.1 प्रतिवादी विभाग ने यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए 13.7.2023 दिनांकित एक विज्ञापन (अनुलग्नक 2) जारी किया। याचिकाकर्ता ने भी अपने आवेदन दिनांक 24.7.2023 के माध्यम से आवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 ने यूनानी चिकित्सा अधिकारी के दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की 15.08.2023 दिनांकित एक सूची (अनुलग्नक 4) प्रकाशित की। याचिकाकर्ता को भी आमंत्रित किया गया था।

3.2 दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने 11.09.2023 को यूनानी डॉक्टरों के लिए पात्र उम्मीदवारों की एक अनंतिम मेरिट सूची (अनुलग्नक 6) प्रकाशित की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। उक्त सूची में, एक नोट दिया गया था कि यदि उम्मीदवारों को अनंतिम सूची के बारे में कोई आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 12.09.2023 को अपनी लिखित आपत्ति (अनुलग्नक 7) भी दर्ज की, जिस पर प्रतिवादियों ने विचार भी नहीं किया और इसके बजाय उन्होंने 22.09.2023 की अंतिम सूची (अनुलग्नक 8) जारी की। इसलिए रिट याचिका।

4. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बचाव किया गया है कि मेरिट सूची 1973 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत तैयार की जाती है। उक्त नियम के अनुसार सरकार, एनआरएचएम और मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत समान कार्य के पिछले अनुभव की अवधि के आधार पर 30% वेटेज/बोनस अंक दिए जाते हैं।

4.1 विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 01.01.2024 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। हालांकि, जो पदधारी 31.12.2020 तक आयु सीमा के भीतर था, उसे 31.12.2024 तक ऊपरी आयु के भीतर माना जाएगा। इसके अलावा, जो उम्मीदवार लगातार सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एनआरएचएम में यूनानी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है, वह अधिकतम 5 वर्षों के अधीन उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के बराबर अवधि तक आयु में छूट का हकदार होगा। चूंकि याचिकाकर्ता एनएचएम के तहत काम कर रहा

था, इसलिए उसे विज्ञापन के खंड 12 के अनुरूप आयु में छूट का हकदार माना गया।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है तथा केस फाइलों का अध्ययन किया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मलिक मजार सुल्तान बनाम यूपीएससी -2006(9) एससीसी 507 और आशीष कुमार बनाम यूपी राज्य-2018(3) एससीसी 55 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता आग्रह करेंगे कि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13782/2023: डॉ. दयाराम सरन एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में इसी तरह के विवाद पर इस न्यायालय द्वारा 27.09.2023 को निर्णय दिया गया है और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16192/2022: धूलेश्वर घोगरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में 19.05.2023 को निर्णय दिया गया है। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका पर उन निर्णयों के आलोक में निर्णय दिया जाए।

8. यूनानी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए लागू नियम राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 हैं। नियम 9 में आयु एवं आयु में छूट के मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

"नियम 9.

आयु:- अनुसूची में उल्लिखित पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को 20 वर्ष होनी चाहिए तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि:-

(i) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी-

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक;

(ii) रिजर्विस्टों के मामले में ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी, अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिक जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था;

X-X-X-X-X XXXXX

(v) पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति + "सेवा में" आयु-सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वह प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु-सीमा के भीतर था, भले ही वह आयोग के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने पर आयु-सीमा पार कर चुका हो और उसे दो अवसरों की अनुमति दी जाएगी यदि वह अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र था;

X-X-X-X-X-X

(xi) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे वर्ष में सीधी भर्ती के लिए अपनी आयु के संबंध में पात्र होता, जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो उसे अगली भर्ती में पात्र माना जाएगा, यदि उसकी आयु 3 वर्ष से अधिक ज्यादा नहीं है।

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि नियमों में संचयी आयु में छूट का लाभ देने पर कोई रोक नहीं है, ताकि ओबीसी, एससी/एसटी दोनों को आयु में छूट का लाभ मिल सके और साथ ही नियम 9(xii) के अनुसार पदों के विज्ञापन न देने पर छूट मिल सके।

9. निम्नलिखित अधिसूचना का भी संदर्भ लिया जा सकता है:-

"अधिसूचना दिनांक 23.09.2008

सं.एफ.7(6) डीओपी/ए-II/2008

जयपुर, दिनांक 23-9-08

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ- (i) इन नियमों को राजस्थान विविध सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2008 कहा जाएगा।
(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
2. संशोधन.- (I) अनुसूची के कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के विरुद्ध कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित नियम के विद्यमान अंतिम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे वर्ष में, जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई थी, सीधी भर्ती के लिए अपनी आयु के संबंध में पात्र होता, तो उसे अगली भर्ती में पात्र माना जाएगा, यदि उसकी आयु 3 वर्ष से अधिक ज्यादा नहीं है।”
(ii) अनुसूची के कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के विरुद्ध कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित विद्यमान नियम में, कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“सीधी भर्ती की आवृत्ति - अनुसूची में निर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, जब तक कि सरकार यह निर्णय न ले कि इनमें से किसी भी पद के लिए सीधी भर्ती किसी विशेष वर्ष में आयोजित नहीं की जाएगी।”

क्रमांक 1	सेवा नियम का नाम 2	नियमों की संख्या 3	नियमों की संख्या 4	नए नियमों की संख्या 5
23	राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	9	16	16A

9.1 जैसा कि देखा जा सकता है, नियम/अधिसूचना में संचयी आयु छूट खंड भी दिया गया है। इसलिए, विज्ञापन, नियमों के विपरीत होने की सीमा तक, विज्ञापन से हटाया जा सकता है। रिक्तियों के विज्ञापन न देने पर 3 वर्ष की आयु छूट और ओबीसी वर्ग के लिए 5 वर्ष की आयु छूट तथा एनआरएचएम के तहत काम करने के लिए आयु छूट का लाभ याचिकाकर्ता को संचयी रूप से दिया जाना चाहिए।

10. राज्य ने यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए अंतिम बार वर्ष 2013 में रिक्तियां विज्ञापित की थीं और राज्य सरकार ने स्वयं 1973 के नियम 9 की

व्याख्या की है और दोनों छूट प्रदान की हैं। इसलिए, नियमों में किसी भी संशोधन के बिना नियमों के अपने पिछले दृष्टिकोण से विचलित होने से रोका जाता है।

11. राज्य इस बात पर कोई मतभेद नहीं कर सकता है कि, दिनांक 12.08.2015 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक 11) के अनुसार 2013 की भर्ती के लिए क्रमांक 54 में उल्लिखित व्यक्ति को 2 से अधिक श्रेणियों के लिए आयु में छूट का लाभ दिया गया था। इसी प्रकार, दिनांक 15.01.2016 के एक अन्य कार्यालय आदेश (अनुलग्नक 12) के अनुसार क्रमांक 19 और 26 में उल्लिखित व्यक्तियों को भी यही लाभ दिया गया था।

12. उपरोक्त स्थिति और भी पुष्ट होती है क्योंकि राज्य ने वर्ष 2023 में नर्सिंग अधिकारी और फार्मासिस्ट के पदों के लिए भी विज्ञापन दिया है और ओबीसी श्रेणी के लिए छूट के अलावा 5 वर्ष के कार्य अनुभव का लाभ दिया है। संबंधित सीडब्ल्यूपी संख्या 13771/2023 में अनुलग्नक-13 और अनुलग्नक-14 को देखा जा सकता है।

13. धूलेश्वर घोगरा (उपरोक्त) के मामले में प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किया गया निर्णय, जिसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 265 विचाराधीन था, इसलिए लागू नहीं होता है जब यूनानी चिकित्सा अधिकारी के लिए नियमों के विभिन्न सेट हैं और दूसरी बात, धूलेश्वर घोगरा निर्णय (उपरोक्त) में रिक्ति के गैर विज्ञापन के लिए छूट पर विचार नहीं किया गया था।

14. आशीष कुमार (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का उल्लेख मलिक मजार सुल्तान (उपरोक्त) में दिए गए दूसरे निर्णय में भी किया गया और उस पर भरोसा किया गया। आशीष कुमार (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:-

“विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक निर्धारण के अनुसार काम करना होगा। इस प्रकार, वैधानिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए, अपीलकर्ता योग्यता पूरी करता है और पद के लिए चयनित होने के बाद उसे नियुक्ति देने से इनकार करना मनमाना और अवैध है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब विज्ञापन और वैधानिक नियमों में भिन्नता होती है, तो वैधानिक नियम ही प्राथमिकता लेते हैं। इस संदर्भ में, मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग और अन्य, 2006 (9) एससीसी 507 के मामले

में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है।
फैसले के पैराग्राफ 21 में उपरोक्त प्रस्ताव दिया गया है
जो इस प्रकार है:

"21. वर्तमान विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि पीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि 01.07.2001 और 01.07.2002 को जो अभ्यर्थी आयु के भीतर थे, उन्हें परीक्षा के लिए आयु के भीतर माना जाएगा। निस्संदेह, बाहर किए गए अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार पात्र आयु के थे, लेकिन सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार ही की जा सकती है और विज्ञापन में यदि कोई त्रुटि है, तो वह नियमों को रद्द नहीं कर सकती है और किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अधिकार नहीं बना सकती है, यदि वह अन्यथा नियमों के अनुसार पात्र नहीं है। आयु में छूट केवल नियमों के तहत अनुमेय होने पर ही दी जा सकती है, विज्ञापन के आधार पर नहीं। यदि पीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करते समय नियमों की व्याख्या गलत थी, तो उसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए, प्रश्न का उत्तर नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा।"

15. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उपरोक्त मामलों में अपनाए गए कानून के दृष्टिकोण का इस मामले में पालन क्यों नहीं किया जाए। इस आधार पर, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। गैर-संचयी प्रभाव से आयु सीमा में छूट के लिए संबंधित विज्ञापन में प्रावधान को रद्द किया जाता है और आधिकारिक प्रतिवादियों को पात्र याचिकाकर्ताओं को परिणामी लाभों के साथ आयु में छूट में संचयी छूट देने और उनकी योग्यता के अनुसार उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

16. यहां दी गई राहत केवल उन उम्मीदवारों तक ही सीमित है जो इस अदालत के समक्ष हैं और उन लोगों तक नहीं जिन्होंने अधिक उम्र के कारण अयोग्य ठहराए जाने पर मौन सहमति जताई है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।